आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
27/1/2013	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील सं0 33/2012** **नैना देवी बनाम राज्य एवं अन्य** **आदेश** यह अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी, सदर, के आदेश ज्ञापांक 349 दिनांक 3/3/2012 के विरुद्ध दायर किया गया है। एक जिला स्तरीय जाँच दल के द्वारा दिनांक 15/11/2011 को अपीलकर्त्ता के जन वितरण प्रणाली प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया था और निरीक्षण में दुकान बंद पायी गयी थी और व्यापार स्थल पर लाभुकों की सूची नहीं पायी गयी थी। तत्पश्चात् अपीलकर्त्ता से कारणपृच्छा की गयी और यह प्रश्नगत आदेश पारित किया गया। अपना पक्ष रखते हुए अपीलकर्त्ता ने स्पष्ट किया कि यह सही है कि निरीक्षण तिथि को उसकी दुकान बंद थी, किन्तु एक अत्यन्त अपरिहार्य कारण से ऐसा हुआ था, क्योंकि उसी तिथि को अपीलकर्त्ता को अपनी बेटी की शादी की सिलसिले में उसे दिखाने छपरा धर्मनाथ जी मंदिर में ले जाना पड़ा था। उन्होंने यह भी कहा कि जाँच दल के द्वारा भी उनके विरुद्ध संतोषजनक वितरण का तथ्य स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रश्नगत आदेश वैधिक दृष्टिकोण से अप्रत्यानुपातिक है। दूसरी ओर प्रतिवादी राज्य का पक्ष रखते हुए विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने स्पष्ट किया कि दुकान का बंद किया जाना एक गंभीर आरोप है और प्रश्नगत आदेश इसी तथ्य के आलोक में पारित किया गया है। दोनों पक्षों को सुनने और मूल अभिलेख का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसकी दुकान किस कारण से बंद थी और उन्होंने इस कारण को अत्यन्त अपरिहार्य बताया है। उनका पक्ष है कि लड़की की शादी को तय करने के लिए लड़की दिखाने की तिथि लड़के वालों ने तय की थी और यह उसके नियंत्रण के बाहर की परिस्थिति थी। यह भी स्पष्ट है कि जाँच दल ने अपीलकर्त्ता को वितरण	

27/1/13

व्यवस्था को संतोषजनक माना है।

उपरोक्त परिस्थितियों में प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक ______/विधि, दिनांक ______

प्रतिलिपि- अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा को भवदीय पत्रांक 662 दिनांक 22-6-2012 द्वारा नैना देवी (डीलर) से संबंधित अभिलेख सं० 11-59/2012 प्राप्त को मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं उक्त आदेश का अनुपालन हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक — अभिलेख सं० 11-59/2012
नैना देवी (डीलर)
कुल 43 पन्ना

ह०/-
वरीय उपसमाहर्ता,
जिला विधि शाखा,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 290/विधि, दिनांक 6.2.2013

प्रतिलिपि- एन० आई० सी० पदाधिकारी, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं उक्त आदेश को जिला के वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

वरीय उपसमाहर्ता,
जिला विधि शाखा,
सारण, छपरा।
6.2.13
04.02.13